प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **102/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Sandeep Arora Add: 132, Mahaveer Colony, Bedla road, Badgaon, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार झाडोल, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 28/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329701389341807 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना न देने दिये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7303413755 दिनांक 02.07.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/102/25/650–51 दिनांक 02.07.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार झाडोल द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/105 दिनांक 28.07.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा अक्टूबर 2004 से जुलाई 2005, सितम्बर 2006 से फरवरी 2009 एवं जुलाई 2013 से अक्टूबर 2013 तक के GA 55 की सूचना चाही गई थी। कार्यालय द्वारा सूचना तैयार कर अपीलाण्ट को Fee Intimation दिनांक 17.06.2025 को भेजी गई थी, परन्तु आज दिनांक तक अपीलाण्ट द्वारा Fee RTI Portal पर जमा नहीं करायी गई है, इस कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी। अतः प्रकरण निरस्तारण करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार झाडोल द्वारा अपीलार्थी को ऑनलाईन पत्रांक 4448875949 दिनांक 17.06.2025 से सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं करा प्रंथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रथम दृष्टया यह

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार झाडोल द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर